



2026:AHC-LKO:17308-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 214/2026

रवि कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, लखनऊ एवं 9 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मनोज कुमार मिश्रा, अजय कुमार वर्मा, हरि कृष्ण चौबे, शुभम कुमार वर्मा
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आयुष चौधरी

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री कुमार संभव और विपक्षी संख्या 10 हेतु, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश चौधरी को विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष चौधरी की सहायता से सुना गया।
2. हम यह पाते हैं कि याचिकाकर्ता अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, हालांकि, उसने कथित अतिक्रमणकारियों को पक्षकार नहीं बनाया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, कुछ भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है, जबकि अन्य के संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिए समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
3. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हेतुक होने पर पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है।
4. तदनुसार रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

10 मार्च, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।